निर्णय

दिनांक 21.05.2018

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :–

वादीनी तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 कि संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 412/205 रकबा 48 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी पटवार हल्का बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त वर्णित आराजी वादिनी तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 की विधिवत अविभाजित कृषि भूमि है जिसका आज दिन तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादिनी का 13/966 हिस्सा निहित है जिसके चारो तरफ वादिनी ने बाउण्ड्रीवाल कर रखी है तथा जिसकी देखरेख तथा वाद विवाद होने पर न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत् श्री कोमलचन्द आ0 श्री रतन लाल जैन को मुख्तार नियुक्त कर रखा है। दिनांक 15.10.2017 को वादिनी ने प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 से वाद वर्णित कृषि भूमि का माप व सीमांकन के आधार पर विधिवत विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 ने विधिवत विभाजन करने से साफ मना कर दिया। जिससे वाद प्रस्तुती का वादकारण उत्पन्न हुआ। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि का माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

2. वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादी की ओर से साक्ष्य मे शपथ पत्र पेश किया गया तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये जिनमे प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस ग्राम गोविन्दपुर बावडी प्रदर्श–2 एवं पावर ऑफ अर्टोनी दिनांक 05.11.2017 प्रदर्श–3 है।

4. वादीनी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीनी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये जमाबन्दी में वर्णित हिस्से एवं मौका स्थिति अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने वादीनी वकील की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। यहां पर यह स्वीकृत स्थिति है कि वादीनी व प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा नही हुआ है ऐसी स्थिति मे वादीनी वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार वाद वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा करवाने की अधिकारी पायी जाती है।

Scanned by CamScanner

<u>निर्णय</u>

परिणामस्वरूप वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 412/205 रकबा 48 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी का जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में दर्ज खातेदारों के उसमें वर्णित हिस्से, कब्जे व माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर बंटवारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। उक्तानुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21–05–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner